



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240763
CG-DL-E-03122022-240763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5391]
No. 5391]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5623(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH934 के किमी 52.9 किमी से 55.1 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH934 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजावर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH934 के कि.मी. 52.9 से 55.1 तक	मध्य प्रदेश	छतरपुर	बक्सवाहा	1 बीछौन (वीरान)

[फा. सं. NHAI/PIU/SGR/Eco.Corri./Sagar-Kabrai/3a/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5623(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 52.9 to Km. 55.1 of the NH934 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH934 in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer (Revenue) Bijawar	52.9 KM. To 55.1 KM.	MADHYA PRADESH	CHHATARPUR	Buxwaha	1 Bichhaun (Viran)

[F. No. NHAI/PIU/SGR/Eco.Corri./Sagar-Kabrai/3a/2022]

RAJESH GUPTA, Director